संख्या- 32 /716/24-1-15-1193/2008

प्रेषक:

सुरेश कुमार शर्मा,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 26 मार्च, 2015

विषय:-वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 को पारेषण कार्यो हेतु अंशपूॅजी मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-1028/पीएसडीएफ/2015, दिनांक 21.03.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 को पारेषण कार्यो हेतु अंशपूॅजी मद में उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के कार्यों हेतु विभिन्न मदों में रूपये 36,45,00,000/- (रूपये छत्तीस करोड़ पैंतालिस लाख मात्र) को संलग्नक बी0एम0-9 के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के अनुदान संख्या-9 के "लेखाशीर्षक 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूॅजीगत परिव्यय-आयोजनागत-05-संचरण तथा वितरण-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश- 07- उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 को पारेषण कार्यों हेतु अंशपूॅजी- 30-निवेश/ऋण" में दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते है।

3- उक्त प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

4- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

5- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश लखनऊ/इलाहाबाद और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- आयोजनागत मदों में स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में आयोजनेत्तर मदों में नहीं किया जायेगा।

7- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

8- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-05-संचरण तथा वितरण-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-07-उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 को पारेषण हेतु अंशपूँजी-30-निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा।

11- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-यू0ओ0- 62 /दस-2015, दिनांक 26 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(सुरेश कुमार शर्मा)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या- 32 /716(1)/24-1-15, तददिनांक</u>।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।
2- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/राज्य योजना आयोग अनुभाग-1
5- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुरेश कुमार शर्मा)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in